क्रम-संख्या–166 (क–2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0
डब्लू0/एन0पी0–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 16 अक्टूबर, 2025
आश्विन 24, 1947 शक सम्वत्

कार्यालय जिलाधिकारी, अमेठी

———————

संख्या : 548/डी0एल0आर0सी0/पुनर्ग्रहण/25

अमेठी, 16 अक्टूबर, 2025

———————

आदेश

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0–8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम–55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना सं0: 35/740/एक–1–2016–20(5)/2016 दिनांक 3 जून, 2016 व उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–32/744/एक–1–2016–20(5)/2016 दिनांक 3 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं संजय चौहान, जिलाधिकारी अमेठी निम्न अनुसूची के स्तम्भ–7 में उल्लिखित भूमि, जो अब तक ग्राम सभा के प्रबन्धन में निहित थी, पुनः अपने अधिकार में लेता हूँ :–

अनुसूची

क्र0	जनपद	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं0	क्षे0 (हे0 में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अमेठी	गौरीगंज	अमेठी	सराय भागमानी	197क	0.3200 हे0	श्रेणीः 5–3 –ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में ग्राम सरायभागमानी में आवासीय भवन के भवन निर्माण हेतु।

यह आदेश प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, राज्यकर अनुभाग–4, लखनऊ के पत्र संख्या–376/11–4–2025 दिनांक 14 अगस्त, 2025 व सहायक आयुक्त (प्रशासन), राज्य कर, अमेठी के पत्र दिनांक 21 अगस्त, 2025 के आलोक में उप जिलाधिकारी, गौरीगंज द्वारा संस्तुति सहित प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 14 अक्टूबर, 2025 व उपायुक्त, राज्य कर, अमेठी के भूमि उपयुक्तता प्रमाण-पत्र दिनांक 14 अक्टूबर, 2025 के क्रम में जारी किया जा रहा है।

उक्त भूमि जनपद अमेठी के ग्राम सरायभागमानी, परगना अमेठी, तहसील गौरीगंज में अधिकारियों/कर्मचारियों के आवासीय भवन के निर्माण हेतु राज्य कर विभाग के निवर्तन पर शासनादेश संख्या–32/744/एक–1–2016–20(5)/2016 दिनांक 3 जून, 2016 तथा शासनादेश संख्या–11/2020/689/एक–1–2020–20(5)/2016 दिनांक 6 जुलाई, 2020 के क्रम में निःशुल्क दी जाती है। चिन्हित भूमि का प्रस्तावित प्रयोजन हेतु उपयोग न होने पर भूमि पूर्ववत् सम्बन्धित खाते में निहित मानी जायेगी।

आज्ञा से,
संजय चौहान,
जिलाधिकारी,
अमेठी।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 220 राजपत्र–2025–(655)–588+04=592 प्रतियां–(डी0टी0पी0/ऑफसेट)।